

प्रेषक,

आयुक्त, राज्य कर,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर  
समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील), राज्य कर

(वाद अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 13 मई, 2022

महोदय,

कृपया मा० अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण पूर्ण पीठ लखनऊ के पत्र संख्या 313 दिनांक 21.02.2022 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा मा० कमिश्नर वाणिज्य कर उ०प्र० द्वारा मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा-59 के अन्तर्गत दिनांक 01.10.2010 को पारित आदेश को प्रतिप्रेषित वाद संख्या-15/2011 सर्वश्री गर्ग साइकिल हाउस 59/40 बिरहना रोड, कानपुर को मा० सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पूर्ण पीठ लखनऊ के समक्ष सुनवाई हेतु रखा गया जिसके संबंध में मा० अधिकरण की पूर्ण पीठ द्वारा दिनांक 18.02.2022 को पारित आदेश में कमिश्नर वाणिज्य कर उ०प्र० लखनऊ के द्वारा धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 01.10.2010 को किये गये निर्णय व प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 20.12.2014 व 02.12.2013 की पुष्टि की गयी है, जिसमें साइकिल एसेसरीज पर कर की दर पर वैट अधिनियम की प्रविष्टि के संबंध में निर्णय दिया गया है।

अतः उक्त निर्णय की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि उक्त निर्णय के अनुरूप राजस्व हित में कर निर्धारण की कार्यवाही को पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

यह पत्र आयुक्त, राज्य कर के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।  
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दिनेश कुमार वर्मा)

संयुक्त आयुक्त (वाद), राज्य कर,  
मुख्यालय, लखनऊ।

प०प०सं० व दिनांक उक्त प्रतिलिपि -

- 1- अपर आयुक्त, राज्य कर, नोएडा को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- अपर आयुक्त ग्रेड-1 (उ०न्या०कार्य), राज्य कर, प्रयागराज को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- अपर आयुक्त ग्रेड-2 (उ०न्या०कार्य), राज्य कर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- संयुक्त आयुक्त (सुप्रीम कोर्ट वर्क्स), राज्य कर, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- संयुक्त आयुक्त (आई०टी०), राज्य कर, मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ कि उक्त को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।

संयुक्त आयुक्त (वाद), वाणिज्य कर,  
मुख्यालय, लखनऊ।

पूर्व-पीठ

वा0 क0 अधि0-0

कार्यालय, अध्यक्ष/सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश

मुख्यालय पीठ बखनक

संख्या 313

/वा0 क0 अधि0

दिनांक 21/02/2022

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, बखनक

आयुक्त, बखनक

उ0 प्र0 बखनक

पत्रांक 28

संबोध

अध्यक्ष/सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, बखनक द्वारा पारित निर्णयों के अंतर्गत अपीलों का निर्णय/संवेनादों की प्रतियों को आपके कार्यालय में आसपास बखनक हेतु प्रेषित करने का मुझे निर्देश हुआ है।

कृपया प्राप्ति स्वीकृति सेजने का कष्ट करें

1	15/2011	धारा-59	वर्ष 2010-11
2	70/2020	-28 (2)	2008-09
3	27/2014	-28 (2)	2009-10

एडी. कमि. (विधि)

कृते कमिश्नर 28.02.2022

पारित निर्णय आदेश को तामीली हेतु प्रेषित

से (विधि)

वायू 28/02/2022

Acct (Lawcast)

28/01/2022

1A35

पदवी

(पुनरीप)

अध्यक्ष/सदस्य-वाणिज्य कर अधिकरण

उत्तर प्रदेश

पीठ मुख्यालय, बखनक

फी0एस0यू0पी0-ए0पी0 2 वाणिज्य कर-16-8-2013-(697)-50,000 प्रतिमा (कम्प्यूटर/टी/आफसेट)

9972 03/03/2022

श्रीमती चन्द्रमाला उर (विधि)

समक्ष: न्यायालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
(पूर्ण पीठ)



पीठासीन: श्री विनय सिंह, एच.जे.एस.....न्यायिक सदस्य।  
डा. बुद्धेश मणि.....विभागीय सदस्य।  
श्री अजीत कुमार शुक्ला.....विभागीय सदस्य।

अपील संख्या: 15/2011 (धारा-59)(प्रतिप्रेषित)  
सर्वश्री गर्ग साइकिल हाऊस, 59/40, बिरहाना रोड, कानपुर।  
बनाम  
कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

द्वितीय अपील संख्या: 76/2020 वर्ष 2008-09 प्रान्तीय धारा-28(2)(प्रतिप्रेषित)  
27/2014 वर्ष 2009-10 प्रान्तीय धारा-28(2)(प्रतिप्रेषित)  
सर्वश्री मलिक साइकिल पार्ट्स इण्डो प्रा०लि०, 42-43 बी, दादा नगर, कानपुर।  
बनाम  
कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिनिधित्व:

व्यापारी की ओर से: श्री दिनेश प्रकाश एवं श्री संग्राम सिंह, अधिवक्ता।  
विभाग की ओर से: श्री पंकज कुमार, डिप्टी कमिश्नर/राज्य प्रतिनिधि।

—:निर्णय:—

द्वारा: डा. बुद्धेश मणि, सदस्य।

अपीलकर्ता व्यापारी सर्वश्री गर्ग साइकिल हाऊस द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के "उत्तर प्रदेश मूल्य सर्वाधिकृत कर अधिनियम, 2008" {संक्षेप में वैट अधिनियम} की धारा-59 के अन्तर्गत पारित निर्णयादेश, दिनांकित 01-10-2010, जिसके द्वारा सायकिल एसेसरीज यथा, चेन कवर, कैरियर, सायकिल स्टैण्ड, सीट कवर, घण्टी तथा हैण्डल ग्रिप कवर को वैट अधिनियम की अनुसूची-2 भाग-क की प्रविष्टि-19 से अनाच्छादित मानते हुए अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% की दर से करयोग्य माना गया है, के विरुद्ध न्यायालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समक्ष दाखिल अपील संख्या-15/2011 का निस्तारण अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण की पूर्ण पीठ द्वारा निर्णयादेश दिनांकित 04-07-2011 द्वारा किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलकर्ता व्यापारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका संख्या 794/2011 दायर की गई, जिसे स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा माननीय अधिकरण की पूर्ण पीठ के निर्णयादेश को अपास्त करते हुए वाद कतिपय निर्देशों के साथ पुनः निर्णयार्थ प्रतिप्रेषित कर दिया गया। अपीलकर्ता कम्पनी सर्वश्री मलिक साइकिल पार्ट्स इण्डो

285  
18/6/22



प्रा०लि०, द्वारा प्रथम अपील संख्या-208/2012 व प्रथम अपील संख्या-181/2013 में पारित प्रथम अपीलीय निर्णयादेशों क्रमशः दिनांकित 20-12-2014 व 02-12-2013, के विरुद्ध संस्थित द्वितीय अपील संख्या क्रमशः 76/2020 व 27/2014 का निस्तारण मा० अधिकरण, कानपुर की युगल पीठ द्वारा अपने निर्णयादेश क्रमशः दिनांकित 20-11-2020, व 23-09-2020 द्वारा किया गया था, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलकर्ता कम्पनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष पुनरीक्षण याचिका संख्या क्रमशः 111/2020 व 132/2020 दाखिल की गई, जिसे स्वीकार कर मा० उच्च न्यायालय द्वारा मा० अधिकरण, कानपुर की युगल पीठ के निर्णयादेश को अपास्त करते हुए पुनरीक्षण याचिका संख्या 794/2011 में किए गए संप्रेक्षणों के आधार पर इन वादों को एक साथ पुनः निर्णयार्थ प्रतिप्रेषित किया गया है।

उपर्युक्त तीनों अपीलों में विवाद का बिन्दु समान होने तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री मलिक सायकिल पार्ट्स इण्डस्ट्रीज प्रा०लि० के वर्ष 2008-2009 व वर्ष 2009-2010 के मामले में दाखिल पुनरीक्षण याचिका को स्वीकारोपरांत प्रतिप्रेषित वाद का निस्तारण पुनरीक्षण याचिका संख्या 794/2011 सर्वश्री गर्ग साइकिल हाऊस में दिए गए निर्णय के अनुसार एक साथ किए जाने के निर्देश के अनुपालन में इन तीनों अपीलों की सुनवाई व निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2- अपीलाधीन वादों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलकर्ता व्यापारी सायकिल, ट्राई- सायकिल व उनके पार्ट्स की निर्माण व बिक्री हेतु विभाग में पंजीकृत है। सर्वश्री गर्ग सायकिल हाऊस द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश, लखनऊ के धारा-59 के अन्तर्गत दिए गए निर्णय के विरुद्ध अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समक्ष अपील संख्या-15/2011 दायर की गयी। मा० अधिकरण की पूर्ण पीठ द्वारा इसी बिन्दु पर दाखिल द्वितीय अपील संख्या-14/2020 व 16/2020 क्रमशः सर्वश्री श्याम सायकिल स्टोर व हैप्पी सन्स (एजेन्सी) बिरहाना रोड, कानपुर के मामले में एक साथ निर्णयादेश दिनांक 04-07-2011 पारित करते हुए सायकिल स्टैण्ड को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम की अनुसूची-2 भाग-क की प्रविष्टि संख्या-19 से आच्छादित तथा शेष अन्य वस्तुओं यथा, चेन कवर, कैरियर, सीट कवर, घण्टी तथा ग्रिप हैण्डल कवर को उक्त प्रविष्टि से अनाच्छादित मानते हुए



अधेनियन को अनुसूची-5 के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भांति 12.5% की दर से करयोग्य माना गया, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलकर्ता व्यापारी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका संख्या 794/2011 दायर की गई, जिसे स्वीकार करते हुए मा0 उच्च न्यायालय द्वारा मा0 अधिकरण की पूर्ण पीठ के निर्णयादेश को अपास्त करते हुए वाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर के निर्णय में किए गए संप्रेक्षणों के परिप्रेक्ष्य में पुनः निर्णयादेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

सर्वश्री मलिक सायकिल पार्ट्स इण्डो प्रा0लि0 के वर्ष 2008-2009 व वर्ष 2009-2010 के वाद में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मा0 अधिकरण की पूर्ण पीठ के निर्णय दिनांक 04-07-2011 के अनुपालन में सायकिल स्टैण्ड को अनुसूची-2 भाग-क की प्रविष्टि संख्या-19 से आच्छादित तथा सायकिल कैरियर को उक्त प्रविष्टि से अनाच्छादित व अवर्गीकृत वस्तु की भांति 12.5% की दर से करयोग्य मानते हुए कर आरोपित किया गया, जिसका समर्थन प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा किया गया। प्रथम अपीलीय निर्णयादेश के विरुद्ध अपीलकर्ता व्यापारी द्वारा दाखिल द्वितीय अपील को स्वीकार करते हुए मा0 अधिकरण, कानपुर की युगल पीठ द्वारा सायकिल के कैरियर पर करदेयता के बिन्दु पर पुनः करनिर्धारण आदेश पारित करने हेतु वाद कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलकर्ता कम्पनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कमशः पुनरीक्षण याचिका संख्या-111/2020 तथा संख्या 132/2020 दायर की गयी। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री मलिक सायकिल पार्ट्स इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 के उपर्युक्त दोनों पुनरीक्षण याचिका के विवादित बिन्दु सर्वश्री गर्ग सायकिल हाऊस की पुनरीक्षण याचिका के विवादित बिन्दु के समान होने के कारण व्यापारी द्वारा दाखिल दोनों याचिका स्वीकार करते हुए वाद अधिकरण को सर्वश्री गर्ग सायकिल हाऊस के मामले में पारित निर्णय के आधार पर एक साथ पुनः निर्णयादेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया गया, जो कि हमारे समक्ष विचाराधीन है।

3- अपीलकर्ता व्यापारी की ओर से श्री दिनेश प्रकाश तथा श्री संग्राम सिंह विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा पेपर बुक प्रस्तुत करते हुए मौखिक तर्क प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा तीनों ही वाद में केवल कैरियर के बिन्दु पर तर्क प्रस्तुत किए गए। अन्य वस्तुओं यथा, चैन कवर, सीट कवर, हैण्डल ग्रिप



कवर घण्टी आदि वस्तुओं के सम्बन्ध में कोई बल नहीं दिया गया। उनके द्वारा विभिन्न साक्ष्यों एवं न्यायिक निर्णयों के आलोक में कैरियर को सायकिल के पार्ट बताते हुए अपीलकर्ता व्यापारियों द्वारा दाखिल अपीलें स्वीकार किये तथा इस बिन्दु पर समस्त विवादित कर समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

4- विभाग की ओर से श्री पंकज कुमार, विद्वान डिप्टी कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि उपस्थित हुए। विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध एवं खण्डन करते हुए यह कहा गया कि कैरियर सायकिल का पार्ट नहीं है, अपितु एसेसरी है, जो सुविधा हेतु सायकिल में लगाया जाता है। फ्रेम, हैंडल, व्हील, सीट, पैडल, चेन आदि सायकिल के पार्ट होते हैं। अन्त में उनके द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के धारा-59 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 01-10-2010 तथा सर्वश्री मलिक सायकिल इण्डस्ट्रीज प्रा० लि० के मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णयादेशों का समर्थन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

5- उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन किया गया।

विचाराधीन दोनों अपीलें में एक मात्र विवाद सायकिल कैरियर की करदेयता के बिन्दु पर है। अपीलकर्ता व्यापारी द्वारा सायकिल कैरियर को सायकिल पार्ट्स मानते हुए एवं तदनुसार अधिनियम की अनुसूची-2 भाग-क की प्रविष्टि संख्या-19 से आच्छादित मानते हुए 4% की दर से करयोग्य माना गया है, जबकि विद्वान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश, लखनऊ के धारा-59 के अन्तर्गत दिए गए निर्णय एवं मा० अधिकरण की पूर्ण पीठ द्वारा की गई उसकी आंशिक पुष्टि के आधार पर सायकिल कैरियर को सायकिल पार्ट्स से भिन्न मानते हुए अधिनियम की अनुसूची-5 के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भांति करयोग्य माना गया है। विद्वान प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर करनिर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन किया गया है। मा० अधिकरण, कानपुर की युगल पीठ द्वारा अधिकरण स्तर पर प्रस्तुत तथ्यों, साक्ष्यों तथा संदर्भित न्यायिक निर्णयों के आलोक में सायकिल कैरियर की करदेयता के बिन्दु पर सर्वश्री मलिक सायकिल



इण्डस्ट्रीज प्रा०लि० की दोनों अपीलों को स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी को वाद पुनः करनिर्धारण हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया गया। मा० उच्च न्यायालय द्वारा मा० अधिकरण की युगल पीठ के उक्त निर्णयादेशों को अपास्त करते हुए सर्वश्री गर्ग सायकिल हाऊस के पुनरीक्षण याचिका संख्या 794/2011 में दिए गए निर्णय के अनुसार तीनों ही वादों का निस्तारण एक साथ किए जाने के निर्देश दिए गए।

अपीलकर्ता व्यापारी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस बिन्दु पर माननीय उच्च न्यायालय के सर्वश्री गर्ग सायकिल हाऊस के वाद में दिये गये निर्णय दिनांकित 07-02-2021 के विभिन्न प्रस्तारों, विशेषकर प्रस्तर संख्या-17, में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश **“on the strength of the evidence and material available on the record”** की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए तथा पेपर बुक में उपलब्ध साक्ष्यों को संदर्भित करते हुए कैरियर सायकिल का पार्ट होने के सम्बन्ध में पहला आधार अन्य विभागों द्वारा कैरियर को सायकिल पार्ट मानने को बनाया गया है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा यह कहा गया कि राज्य सरकार के दो अथवा उससे अधिक विभागों का किसी एक बिन्दु पर दो मत नहीं हो हो सकता है। उनके द्वारा सर्वश्री राज प्रोडक्ट्स के मामले में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी स्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र, मण्डल स्तरीय समिति के निर्णय के अनुपालन में संयुक्त निदेशक उद्योग, कानपुर मण्डल, कानपुर द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र में सायकिल पार्ट्स यथा, कैरियर, स्टैण्ड, चेन कवर का उल्लेख किये जाने के आधार पर कैरियर को सायकिल पार्ट्स के अन्तर्गत समाहित होना बताया गया है। इसी प्रकार सर्वश्री ईशा सायकिल पार्ट्स इण्डस्ट्रीज, सर्वश्री मलिक सायकिल पार्ट्स इण्डस्ट्रीज प्रा०लि० के मामले में भी जिला उद्योग केन्द्र व संयुक्त निदेशक उद्योग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों में कैरियर, स्टैण्ड, घण्टी आदि का उल्लेख सायकिल पार्ट्स के अन्तर्गत किये जाने के आधार पर कैरियर को सायकिल पार्ट्स होना बताया गया तथा यह कहा गया कि यदि राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा कैरियर को सायकिल पार्ट्स माना गया है, तो वाणिज्य कर विभाग द्वारा इसे सायकिल पार्ट्स से भिन्न माना जाना उचित नहीं है। उनके द्वारा मा० उच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री वादीलाल केमिकल्स लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश, सर्वश्री एलायड इलेक्ट्रिक एण्ड इन्जीनियरिंग



बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को संदर्भित करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि राज्य सरकार के दो विभागों द्वारा एक ही वस्तु को दो भिन्न-भिन्न वस्तु नहीं माना जा सकता है। मा० उच्च न्यायालय, गौहाटी द्वारा सर्वश्री श्री सान्याजी इस्पात प्रा० लि० बनाम स्टेट ऑफ आसाम एवं अन्य के मामले में दिए गए निर्णय दिनांक 07-10-2005 के प्रस्तर-23, जो इस प्रकार है कि "The question, therefore, which falls for consideration is this: when the Government of a State announces an industrial policy and invites investors to make investments in order to receive the benefits and incentives promised under the industrial policy, can another Department of the Government, namely, Department of Finance, while preparing, in exercise of its powers under the relevant state, a Scheme, such as the Scheme of 1995, refuse to grant exemption from sales tax to an industrial unit, which is, otherwise, eligible to receive benefits of the industrial policy announced by the Government? While considering the question, so posed, it is important to bear in mind that a Government, perceived under the Constitution of India, runs as an organised, harmonious, orderly, coherent, systematic and homogenous body and it functions on the principles of collective responsibility. Two different departments of a Government cannot adopt policies, which are contrary to, and inconsistent with, each other, for, the citizens must know what the policy of the Government of the State is. The Government must, therefore, as warranted by the Constitution, behave with such responsibility as is conceived under the Constitution and eschew such a course, which would make its functions impossible to be carried out in accordance with the provisions of the Constitution, for, collision between two departments of a State will reveal arbitrary manner of functioning of the Government and such arbitrary functioning will jeopardize rule of law and make a mockery of the



organs or departments of the Government in the spirit of collective responsibility. Bearing in mind this subtle, but, definite pre-requisite for effective functioning of the Government, let me, now, turn to the Scheme of 1995.” को उद्धृत करते हुए यह



केहा गया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभाग सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। सरकार के दो विभाग अलग-अलग परस्पर विरोधी नीति नहीं अपना सकते हैं

विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान राज्य प्रतिनिधि द्वारा इस सम्बन्ध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता द्वारा संबन्धित साक्ष्य व्यापार कर अधिनियम से सम्बन्धित है, जबकि विचाराधीन मामला उ०प्र० वैट अधिनियम से संबंधित है। उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 व उत्तर प्रदेश मूल्य संबंधित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत सायकिल व उसके पार्ट्स कम्पोनेंट्स एसेसरीज से सम्बन्धित प्रविष्टियों में भिन्नता रही है। उनके द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान अधिवक्ता द्वारा राज्य सरकार के उद्योग विभाग तथा मण्डल स्तरीय समिति, जिसमें तीन विभाग के अधिकारी शामिल होते हैं, द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्रों/पात्रता प्रमाण पत्रों में उल्लिखित वस्तुओं तथा वाणिज्य कर विभाग द्वारा इन वस्तुओं के सम्बन्ध में स्थिर मत में भिन्नता को आधार बनाकर मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में कैरियर को सायकिल पार्ट्स मानने का जो तर्क प्रस्तुत किया गया है, वह प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि उद्योग विभाग और यहाँ तक कि व्यापार कर/वाणिज्य कर विभाग द्वारा जिन वस्तुओं के लिए पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा नई इकाई के अन्तर्गत छूट हेतु पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, उनमें निर्माण की जाने वाली वस्तुओं के नाम का उल्लेख कर की दर निर्धारित किये जाने की दृष्टि से विचार करके नहीं किया जाता है, अपितु व्यापारी द्वारा जिन वस्तुओं को खरीद-बिक्री अथवा निर्माण-बिक्री हेतु पंजीयन जारी करने के सम्बन्ध में आवेदन किया जाता है, उसको उसी रूप में स्वीकार करते हुए पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। पंजीयन प्रमाण पत्र/पात्रता प्रमाण पत्र में वस्तुओं का नाम अंकित कर दिये जाने के आधार पर करदेयता का निर्धारण नहीं किया जाता है, अपितु कर का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अधिनियम में प्राविधानित कर की दरों के अनुसार किया जाता है।



इस बिन्दु पर सन्तत संदर्भित साक्ष्यों, विभिन्न न्यायिक निर्णयों एवं विद्विक व्यवस्थाओं का गहनता से हमारे द्वारा परिशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा कैरियर को सायकिल पार्ट्स मानने हेतु संदर्भित उद्योग विभाग मण्डल स्तरीय समिति द्वारा जारी प्रमाण पत्रों में सायकिल पार्ट्स के अन्तर्गत कैरियर, स्टैण्ड, चेन कवर तथा अन्य वस्तुओं का उल्लेख होने के कारण इसे सायकिल पार्ट्स मानने का कोई तर्कसंगत एवं विधिसंगत आधार नहीं है, क्योंकि विभिन्न विभागों द्वारा निर्माण-बिक्री/खरीद-बिक्री हेतु निर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा नई इकाई के अन्तर्गत कर से छूट/रियायती दर से कर निर्धारण हेतु निर्गत पात्रता प्रमाण पत्र में वस्तुओं के वर्गीकरण पर विचार करके उल्लेख नहीं किया जाता है, बल्कि सम्बन्धित विभागों द्वारा, व्यापारी द्वारा आवेदित प्रार्थना पत्र में उल्लिखित वस्तुओं के लिए पंजीयन प्रमाण पत्र यथावत् जारी कर दिया जाता है, जबकि विभिन्न वस्तुओं पर कर का निर्धारण अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित कर की दर से किया जाता है। विभिन्न वस्तुओं पर कर की दर का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा विस्तृत विश्लेषण करके किया जाता है। कर की दरों को युक्तियुक्त व तर्कसंगत बनाने हेतु समय-समय पर विभिन्न वस्तुओं पर कर की दरों में परिवर्तन भी किया जाता है। किसी वस्तु पर कर की दर में अस्पष्टता होने पर राज्य सरकार द्वारा कनिश्चर उन्निज्य कर के अन्तर्गत कर-59 के अन्तर्गत कर की दर स्पष्ट करने हेतु अधिकार प्रदान किया गया है।

अपीलकर्ता व्यापारी की ओर से संदर्भित उपर्युक्त न्यायिक निर्णयों के तथ्य व्यापारी के प्रश्नगत वादों के तथ्यों से सर्वथा भिन्न हैं। तीनों ही न्यायिक निर्णय सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु लागू औद्योगिक नीति के अन्तर्गत स्थापित औद्योगिक इकाईयों को कर से छूट/रियायत की सुविधा प्रदान किए जाने के उपरांत कर से छूट/रियायत की सुविधा समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में है, जबकि विचाराधीन मामलों में सायकिल कैरियर सायकिल पार्ट न होने के कारण वैट अधिनियम की अनुसूची-2 भाग-क की प्रविष्टि संख्या-19 से आच्छादित न होने के फलस्वरूप अधिनियम की अनुसूची-5 के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% की दर से करयोग्य होने के सम्बन्ध में है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा कोई भी नीति समस्त विभागों के परामर्श व आपसी सहमति के आधार पर



इन्हें उचित है, जबकि विभिन्न वस्तुओं पर कर की दर का निर्धारण सम्बन्धित विभाग द्वारा देश के अन्य राज्यों में उस वस्तु की प्रचलित कर की दर व राज्य सरकार के वित्तीय संसाधन की आवश्यकताओं के दृष्टिगत स्वयं किया जाता है। उक्त तथ्यों, विधिक प्राविधानों एवं न्यायिक निर्णयों के विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता व्यापारी द्वारा जिन साक्ष्यों एवं न्यायिक निर्णयों का आश्रय लेते हुए कैरियर को सायकिल का पार्ट सिद्ध करने का प्रयास किया गया है, वह हमारे विचार से उचित, तर्कसंगत एवं विधिसंगत नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा कैरियर को सायकिल का पार्ट होने के सम्बन्ध में **Common Parlance Test** को भी एक आधार बनाया गया है। इस संदर्भ में उनके द्वारा श्री रुचि दुबे, लेक्चरर, दयानन्द ग्रल्स पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज, कानपुर के माध्यम से कराये गये सर्वेक्षण, जो पेपर बुक के क्रम संख्या-68 से 135 पर उपलब्ध है, को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तदनुसार उत्तर प्रदेश सायकिल उद्योग व्यापार परिषद, कानपुर द्वारा एक सर्वेक्षण प्रश्नावली तैयार की गयी है, जिसमें सायकिल क्रेताओं से सायकिल कैरियर, स्टैण्ड, घण्टी, चेन कवर, मडगार्ड, सायकिल में लगी डलिया, बम्पर, हैण्डल ग्रिप कवर, सायकिल सीट की सुरक्षा के लिए सीट कवर, पेडल कवर आदि के सम्बन्ध में विभिन्न क्रेताओं से हाँ/नहीं में मत लिया गया है। सायकिल में लगाने वाले विभिन्न वस्तुओं के उपयोग को सुरक्षा के लिए उचित होने अथवा न होने के सम्बन्ध में अपनी सुविधानुसार प्रश्नावली तैयार कर विभिन्न क्रेताओं का मत लिया गया है। इसी प्रकार विद्वान अधिवक्ता द्वारा पेपर बुक के पृष्ठ संख्या-43 से 61 तक पर विभिन्न कम्पनियों के सायकिल के चित्र, जिसमें विभिन्न प्रकार की एसेसरीज़ लगी हुई है, व उनके विक्रय दर की सूची तथा क्रम संख्या 15 व 16 पर संलग्न जिला विद्यालय निरीक्षक, झॉंसी द्वारा निर्गत अल्पकालीन निविदा सूचना में उल्लिखित तथ्यों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा गया है कि सायकिल खरीदने वाले, बेचने वाले तथा निर्माण करने वाले तीनों ही कैरियर को सायकिल का पार्ट मानते हैं। अतः विभाग द्वारा कैरियर को सायकिल पार्ट न मानने व तदनुसार अनुसूची-2 भाग-क की प्रविष्टि-19 के अन्तर्गत समाहित मानते हुए 4% की दर से करयोग्य न मानने का कोई औचित्य नहीं है।

विद्वान राज्य प्रतिनिधि ने विद्वान अधिवक्ता के द्वारा




असंगत एवं अतार्किक बताते हुए यह कहा कि विभिन्न कम्पनियों द्वारा सायकिल के जो विभिन्न मॉडल चित्रित किए गए हैं, जिनमें कैरियर, घण्टी, स्टैण्ड, सायकिल की डलिया, सायकिल चेन आदि लगी हुई हैं, उनके अवलोकन से किसी प्रकार यह प्रमाणित नहीं होता है कि कैरियर सायकिल का पार्ट है।

इस बिन्दु पर हमारे द्वारा समस्त साक्ष्यों, तथ्यों एवं विधिक प्राविधानों पर सम्यक् रूप से विचार किया गया। **Common Parlance Test** हेतु कराए गए सर्वेक्षण से सम्बन्धित साक्ष्यों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि सायकिल में एसेसरीज के रूप में प्रयोग होने वाली विभिन्न वस्तुओं का उपयोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित होने अथवा न होने के सम्बन्ध में अपनी सुविधानुसार 13 बिन्दुओं पर प्रश्नावली तैयार कर विभिन्न क्रेताओं से हॉ अथवा न में उनकी राय ली गई है। सर्वेक्षण से **Common Parlance** में कैरियर के सायकिल का पार्ट होने का तथ्य किसी प्रकार से भी प्रमाणित नहीं होता है।

अपीलकर्ता व्यापारी की ओर से कुछ सायकिल कम्पनियों के विक्रय दर की सूची प्रस्तुत की गई है, जिसमें सायकिल में लगने वाली विभिन्न एसेसरीज के साथ मॉडलवार सायकिल का विक्रय दर अंकित है, परन्तु सम्बन्धित सायकिल कम्पनियों द्वारा विक्रय दर सूची के अनुसार अपने डीलर्स एवं व्यापारियों को बिक्री किए जाने के साक्ष्य के रूप में कोई इन्वॉयस प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिससे इस बिन्दु पर अपीलकर्ता व्यापारी का तर्क सत्यापनीय नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा पेपर बुक के संलग्नक-7 के रूप में क्रमांक 15 पर संलग्न कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, झॉसी द्वारा जारी अल्पकालीन निविदा सूचना की छाया प्रति का अवलोकन किया गया। संदर्भित निविदा सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि "सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मद योजना के तहत जनपद झॉसी में पात्र छात्राओं को वितरित करने हेतु हीरो अथवा एटलस अथवा एवन अथवा हरकुलिस ब्राण्ड की लगभग 600 लेडीज सायकिल की आपूर्ति हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में सीलबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। सायकिल का न्यूनतम मानक इस प्रकार होगा-


"20 इंची लेडीज साइकिल, सीट, फुल स्टैण्ड, क्वार्टर चेन कवर, ताला चेन वाला, कैरियर, घण्टी फन्ट बॉस्केट, केमिस्ट्री, ..."



उक्त निविदा सूचना के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यदि सीट कवर, स्टैण्ड, चेन कवर, कैरियर, घण्टी, फ्रंट बास्केट, (डलिया), ड्रेसगार्ड एवं रिफ्लेक्टर सायकिल पार्ट्स होते तो, इन्हें निविदा में अलग से उल्लेख किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सायकिल पार्ट्स के बिना सायकिल क्रियाशील (Functional) नहीं हो सकती है, जबकि निविदा में उल्लिखित उक्त वस्तुओं के बिना भी सायकिल क्रियाशील होती है, इसीलिए सायकिल के साथ इन वस्तुओं को लगाकर आपूर्ति किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस प्रकार कॉमन पार्लेन्स में भी कैरियर, सायकिल का भाग होना प्रमाणित नहीं होता है, क्योंकि अपीलकर्ता व्यापारी द्वारा विभिन्न कम्पनियों की सायकिल व उनके पार्ट्स की बिक्री के सम्बन्ध में साक्ष्य के रूप में कोई इन्वाइस प्रस्तुत नहीं किये गये, जिनसे कैरियर का सायकिल पार्ट होने का उनका तर्क प्रमाणित होता हो। इस प्रकार इस बिन्दु पर भी विद्वान अधिवक्ता का कथन उचित एवं तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा कैरियर को सायकिल पार्ट्स माने जाने हेतु **Theory of creative Interpretation** को भी आधार बनाया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा पेपर बुक के पृष्ठ संख्या-188 पर संलग्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ पंजाब एण्ड अदर्स बनाम सर्वश्री अमृतसर ब्रेवरीज़ लिमिटेड एण्ड अदर्स के मामलें में दिये गये निर्णय को संदर्भित किया गया है। इस निर्णय के पृष्ठ संख्या-190 के द्वितीय एवं अन्तिम प्रस्तर को उद्धृत करते हुए यह कहा गया है कि तकनीकी विकास के साथ-साथ वस्तुओं के वर्गीकरण में परिवर्तन होता रहता है। इसी बिन्दु पर पेपर बुक के पृष्ठ संख्या-193 से 198 तक पर संलग्न माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा कमिश्नर, व्यापार कर बनाम दुर्गा फार्म प्रोडक्ट लिमिटेड के मामले में दिए गए निर्णय के प्रस्तर-12 को भी संदर्भित किया गया है। पेपर बुक के पृष्ठ संख्या 199 से 204 तक पर संलग्न सर्वश्री ड्राइव इण्डिया डाट कम्पनी लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ एम0पी0 एण्ड अदर्स के मामले में मा0 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रस्तर-8 व कमिश्नर बिक्री कर बनाम मेलरोज़ बिस्कट कम्पनी के मामलें में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के प्रस्तर-6, जो इस



is that the items in taxing Statute must be construed in the sense in which they are sold by the dealer and purchased by the consumer. The operation of a notification has to be judged not by the object which the rule making authority had in mind but by the words which it has employed to effectuate the legislative intents. The words or expressions used in a notification must be construed in the sense in which they are understood by the trade and by the consumer and not by what is understood by the department.”, को संदर्भित करते हुए कहा गया है कि वस्तुओं का उसी रूप में वर्गीकरण किया जाना चाहिए, जिस रूप में वे व्यापारी द्वारा बेची जाती है अथवा ग्राहकों द्वारा खरीदी जाती है।

विद्वान राज्य प्रतिनिधि द्वारा विद्वान अधिवक्ता के **Theory of Creative Interpretation** से सहमति व्यक्त करते हुए यह कहा गया कि तकनीकी विकास के साथ-साथ वस्तुओं का वर्गीकरण किया जाता है, इसलिए विधायिका द्वारा समय-समय पर अनुसूची में संशोधन करते हुए विभिन्न वस्तुओं अथवा उनके समूह को अनुसूची में समाहित किया जाता है अथवा अनुसूची से असंगत वस्तुओं को बाहर किया जाता है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि कैरियर के सायकिल पार्ट्स होने के सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके आधार पर उनके प्रश्नगत मामले में **Theory of creative Interpretation** लागू होता हो, क्योंकि आज भी कैरियर सायकिल का पार्ट नहीं है और कैरियर का सायकिल के संचालन (**Functioning**) में कोई भूमिका नहीं है।

हमारे द्वारा **Theory of creative Interpretation** के बिन्दु पर विद्वान अधिवक्ता व विद्वान राज्य प्रतिनिधि के तर्कों पर गहनता से विचार किया गया। इस बिन्दु पर अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचने से पूर्व सायकिल व सायकिल पार्ट्स के सम्बन्ध में विभिन्न कर प्रणाली में प्रभावी कर की दर का अवलोकन किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत सायकिल पर कर की दर से सम्बन्धित प्रविष्टि निम्नवत् रही है :-

**Entry No.-150 :: Bicycles, Tri-cycles, Tandem Cycles, Rickshaws and Cycle combinations, Tyres, Tubes,**



**Components, Parts & accessories thereof. Taxable @ 08% w.e.f. 01-02-2001**

दिनांक 01-01-2008 से वैट कर प्रणाली लागू होने के समय अनुसूची-2 भाग-क की प्रविष्टि संख्या-19 निम्नवत् रही है :-

**Entry No.-19 :: Bicycles, Tri-cycles, Cycle-Rickshaws & Parts, Tyres & Tubes thereof.**

उक्त प्रविष्टि दिनांक 01-01-2008 से दिनांक 31-03-2011 तक प्रभावी रही। तदुपरांत दिनांक 01-04-2011 से उक्त प्रविष्टि को संशोधित करते हुए प्रविष्टि निम्नवत् प्रतिस्थापित की गई :-

**Bycles, Tri-cycles, Cycle-Rickshaws & Parts, Components, Assessories, Tyres & Tubes thereof.**

दिनांक 27-09-2014 से उक्त प्रविष्टि को अनुसूची-2 से हटाकर अनुसूची-1 में समाहित कर दिया गया। फलतः उक्त प्रविष्टि से आच्छादित समस्त वस्तुएं दिनांक 27-09-2014 से करमुक्त हो गई हैं।

सायकिल एवं उसके पार्ट्स/एसेसरीज से सम्बन्धित उपर्युक्त प्रविष्टियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा स्वयं समय-समय पर **Common Parlance Test** व **Creative Interpretation** के सिद्धान्त को संज्ञान में लेकर संशोधन किये जाते रहे हैं। मा० सर्वोच्च न्यायालय ने कमिश्नर बिक्री कर उत्तर प्रदेश बनाम सर्वश्री मोदी शुगर मिल्स लिमिटेड के मामले में कर सम्बन्धी कानूनों के परिप्रेक्ष्य में निम्नवत् मत व्यक्त किया है :-

**“In interpreting a taxing statute, equitable considerations are entirely out of place. Nor can taxing statutes be interpreted on any presumptions or assumptions. The Court must look squarely at the words of the statute and interpret them. It must interpret a taxing statute in the light of what is clearly expressed: it cannot imply anything which is not expressed; it cannot import provisions in the statute so as to supply any assumed deficiency.**

A legal fiction must be limited to the purposes for which it has been created and cannot be extended beyond its legitimate field. The turnover of the previous year is fictionally made the turnover of the year of assessment. It is not the actual or the real turnover of the year of assessment. By the imposition of a different tariff in the




course of the year, the incidence of tax liability may competently be altered by the Legislature, but for effectuating that alternation, the Legislature must devise machinery for enforcing it against the taxpayer and if the Legislature has failed to do so, the Court cannot resort to a fiction which is not prescribed by the Legislature and seek to effectuate that alternation by devising machinery not found in the statute."

इसी क्रम में मा० उच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री अग्रवाल ब्रदर्स बनाम कमिश्नर बिक्री कर उत्तर प्रदेश, लखनऊ {(1974)-34 STC-53} के मामले में दिए गए निर्णय का निम्नांकित अंश अवलोकनीय है :-

"Admittedly, the diesel engines sold by the petitioner could not be used for driving motor vehicles unless they were changed and converted to such purpose. For that, conversion kits were required. It was with the assistance of conversion kits that they were suitably converted or adapted for the purpose of driving motor vehicles. Apparently, in their unchanged or original condition they could not be used for that purpose. It is also not shown what is the degree of conversion which was necessary in order to make the diesel engines, sold by the petitioner, capable of use for driving motor vehicles. There is a complete absence of material in that regard. The judge Revision has expressed the view that diesel engines are ordinarily used in motors and motor lorries. That may be so, but the question here is whether the diesel engine sold by the petitioner was capable of use in a motor vehicle and was a component part of a motor vehicle. In the Commissioner of Sales Tax V/s Pritam Singh, S.T.R. No.-486 of 1965 decided by this bench on August 6, 1968, we hold that an article is a component of another when it forms a constituent part of the other and is essential for completing it. That presumes necessarily that the article as such must in its condition and functioning be capable of use in that other."

मा० सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त मत से यह स्पष्ट है कि कर अधिनियम के प्रावधानों के बाहर जाकर कैरियर को सायकिल का पार्ट सिद्ध करने का विद्वान अधिवक्ता का तर्क उचित एवं विधिसंगत नहीं है। इसी प्रकार मा० उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के संदर्भित अंश से यह स्पष्ट है कि कैरियर, सायकिल में लगाने के कारण वह सायकिल पार्ट नहीं है। हमारे समक्ष





साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर **Theory of creative Interpretation** का सिद्धान्त व्यापारी के प्रश्नगत वाद में लागू होना प्रमाणित होता हो। इस प्रकार विद्वान अधिवक्ता का **Creative Interpretation** का सिद्धान्त भी कैरियर को सायकिल पार्ट्स सिद्ध करने में सहायक प्रतीत नहीं होता है।

6- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, विधिक प्राविधानों एवं मा० उच्च /सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के दृष्टिगत हमारा यह सुविचारित मत है कि कैरियर, सायकिल पार्ट्स के अन्तर्गत समाहित नहीं है। अतः अधिनियम की अनुसूची-2 भाग-क की प्रविष्टि संख्या-19 से आच्छादित नहीं है। फलतः 4% की दर से करयोग्य नहीं है। अतः सर्वश्री मलिक सायकिल पार्ट्स इण्डो प्रा०लि० के वर्ष 2008-2009 तथा 2009-2010 के मामले में विद्वान प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णयादेश क्रमांक दिनांक 20-12-2014 व दिनांक 02-12-2013 हस्तक्षेप योग्य नहीं है। सर्वश्री गर्ग सायकिल हाऊस के मामले में सायकिल कैरियर के बिन्दु पर कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश, लखनऊ का धारा-59 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 01-10-2010 हस्तक्षेप योग्य नहीं है। तदनुसार, अपीलकर्ता व्यापारी द्वारा दाखिल अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

प्रतिवेपि प्रमाणित

—:आदेश:—

अपील संख्या 15/2011, 76/2020 व 27/2014 अस्वीकार की जाती हैं तथा कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्णय दिनांक 01-10-2010 व प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 20-12-2014 व 02-12-2013 की पुष्टि की जाती है।

मूल निर्णय अपील संख्या 15/2011 की पत्रावली में तथा सत्यापित प्रतियाँ अन्य पत्रावलियों पर रखी जाएं।

ह०/18-02-2022  
(अजीत कुमार शुक्ला)  
सदस्य,  
वाणिज्य कर अधिकरण,

ह०/18-02-2022  
(विनय सिंह, एच.जे.एस.)  
सदस्य,  
वाणिज्य कर अधिकरण

ह०/18-02-2022  
(डा. बुद्धेश मणि)  
सदस्य,  
वाणिज्य कर अधिकरण

समक्ष: न्यायालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
(पूर्ण पीठ)



पीठासीन: श्री विनय सिंह, एच.जे.एस.....न्यायिक सदस्य।  
डा. बुद्धेश मणि.....विभागीय सदस्य।  
श्री अजीत कुमार शुक्ला.....विभागीय सदस्य।

अपील संख्या: 15/2011 (धारा-59)(प्रतिप्रेषित)  
सर्वश्री गर्ग साइकिल हाऊस, 59/40, बिरहाना रोड, कानपुर।

बनाम  
कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

तथा

द्वितीय अपील संख्या: 76/2020 वर्ष 2008-09 प्रान्तीय धारा-28(2)(प्रतिप्रेषित)  
27/2014 वर्ष 2009-10 प्रान्तीय धारा-28(2)(प्रतिप्रेषित)  
सर्वश्री मलिक साइकिल पार्ट्स इण्डो प्रा0लि0, 42-43 बी, दादा नगर, कानपुर।

बनाम  
कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिनिधित्व:

व्यापारी की ओर से: श्री दिनेश प्रकाश एवं श्री संग्राम सिंह, अधिवक्ता।  
विभाग की ओर से: श्री पंकज कुमार, डिप्टी कमिश्नर/राज्य प्रतिनिधि।

निर्णयः-

द्वारा: डा. बुद्धेश मणि, सदस्य।

अपीलकर्ता व्यापारी सर्वश्री गर्ग साइकिल हाऊस द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के "उत्तर प्रदेश मूल्य सर्वर्धित कर अधिनियम, 2008" {संक्षेप में वैट अधिनियम} की धारा-59 के अन्तर्गत पारित निर्णयादेश, दिनांकित 01-10-2010, जिसके द्वारा सायकिल एसेसरीज यथा, चेन कवर, कैरियर, सायकिल स्टैण्ड, सीट कवर, घण्टी तथा हैण्डल ग्रिप कवर को वैट अधिनियम की अनुसूची-2 भाग-क की प्रविष्टि-19 से अनाच्छादित मानते हुए अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% की दर से करयोग्य माना गया है, के विरुद्ध न्यायालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समक्ष दाखिल अपील संख्या-15/2011 का निस्तारण अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण की पूर्ण पीठ द्वारा निर्णयादेश दिनांकित 04-07-2011 द्वारा किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलकर्ता व्यापारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका संख्या 794/2011 दायर की गई, जिसे स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा माननीय अधिकरण की पूर्ण पीठ के निर्णयादेश को अपास्त करते हुए वाँद कतिपय निर्देशों के साथ पुनः निर्णयार्थ प्रतिप्रेषित कर दिया गया। अपीलकर्ता कम्पनी सर्वश्री मलिक साइकिल पार्ट्स इण्डो

285  
18/02/22



प्रा०लि०, द्वारा प्रथम अपील संख्या-208/2012 व प्रथम अपील संख्या-181/2013 में पारित प्रथम अपीलीय निर्णयादेशों क्रमशः दिनांकित 20-12-2014 व 02-12-2013, के विरुद्ध संस्थित द्वितीय अपील संख्या क्रमशः 76/2020 व 27/2014 का निस्तारण मा० अधिकरण, कानपुर की युगल पीठ द्वारा अपने निर्णयादेश क्रमशः दिनांकित 20-11-2020, व 23-09-2020 द्वारा किया गया था, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलकर्ता कम्पनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष पुनरीक्षण याचिका संख्या क्रमशः 111/2020 व 132/2020 दाखिल की गई, जिसे स्वीकार कर मा० उच्च न्यायालय द्वारा मा० अधिकरण, कानपुर की युगल पीठ के निर्णयादेश को अपास्त करते हुए पुनरीक्षण याचिका संख्या 794/2011 में किए गए संप्रेक्षणों के आधार पर इन वादों को एक साथ पुनः निर्णयार्थ प्रतिप्रेषित किया गया है।

उपर्युक्त तीनों अपीलों में विवाद का बिन्दु समान होने तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री मलिक सायकिल पार्ट्स इण्डस्ट्रीज प्रा०लि० के वर्ष 2008-2009 व वर्ष 2009-2010 के मामले में दाखिल पुनरीक्षण याचिका को स्वीकारोपरान्त प्रतिप्रेषित वाद का निस्तारण पुनरीक्षण याचिका संख्या 794/2011 सर्वश्री गर्ग साइकिल हाऊस में दिए गए निर्णय के अनुसार एक साथ किए जाने के निर्देश के अनुपालन में इन तीनों अपीलों की सुनवाई व निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2- अपीलाधीन वादों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलकर्ता व्यापारी सायकिल, ट्राई- सायकिल व उनके पार्ट्स की निर्माण व बिक्री हेतु विभाग में पंजीकृत है। सर्वश्री गर्ग सायकिल हाऊस द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश, लखनऊ के धारा-59 के अन्तर्गत दिए गए निर्णय के विरुद्ध अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समक्ष अपील संख्या-15/2011 दायर की गयी। मा० अधिकरण की पूर्ण पीठ द्वारा इसी बिन्दु पर दाखिल द्वितीय अपील संख्या-14/2020 व 16/2020 क्रमशः सर्वश्री श्याम सायकिल स्टोर व हैप्पी सन्स (एजेन्सी) बिरहाना रोड, कानपुर के मामले में एक साथ निर्णयादेश दिनांक 04-07-2011 पारित करते हुए सायकिल स्टैण्ड को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम की अनुसूची-2 भाग-क की प्रविष्टि संख्या-19 से आच्छादित तथा शेष अन्य वस्तुओं यथा, चेन कवर, कौरियर, सीट कवर, घण्टी तथा ग्रिप हैण्डल कवर को उक्त प्रविष्टि से अनाच्छादित मानते हुए



अधिनियम की अनुसूची-5 के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भांति 12.5% की दर से करयोग्य माना गया, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलकर्ता व्यापारी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका संख्या 794/2011 दायर की गई, जिसे स्वीकार करते हुए मा0 उच्च न्यायालय द्वारा मा0 अधिकरण की पूर्ण पीठ के निर्णयादेश को अपास्त करते हुए वाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर के निर्णय में किए गए संप्रेक्षणों के परिप्रेक्ष्य में पुनः निर्णयादेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

सर्वश्री मलिक सायकिल पार्ट्स इण्डो प्रा0लि0 के वर्ष 2008-2009 व वर्ष 2009-2010 के वाद में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मा0 अधिकरण की पूर्ण पीठ के निर्णय दिनांक 04-07-2011 के अनुपालन में सायकिल स्टैण्ड को अनुसूची-2 भाग-क की प्रविष्टि संख्या-19 से आच्छादित तथा सायकिल कैरियर को उक्त प्रविष्टि से अनाच्छादित व अवर्गीकृत वस्तु की भांति 12.5% की दर से करयोग्य मानते हुए कर आरोपित किया गया, जिसका समर्थन प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा किया गया। प्रथम अपीलीय निर्णयादेश के विरुद्ध अपीलकर्ता व्यापारी द्वारा दाखिल द्वितीय अपील को स्वीकार करते हुए मा0 अधिकरण, कानपुर की युगल पीठ द्वारा सायकिल के कैरियर पर करदेयता के बिन्दु पर पुनः करनिर्धारण आदेश पारित करने हेतु वाद कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलकर्ता कम्पनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष क्रमशः पुनरीक्षण याचिका संख्या-111/2020 तथा संख्या 132/2020 दायर की गयीं। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री मलिक सायकिल पार्ट्स इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 के उपर्युक्त दोनों पुनरीक्षण याचिका के विवादित बिन्दु सर्वश्री गर्ग सायकिल हाऊस की पुनरीक्षण याचिका के विवादित बिन्दु के समान होने के कारण व्यापारी द्वारा दाखिल दोनों याचिका स्वीकार करते हुए वाद अधिकरण को सर्वश्री गर्ग सायकिल हाऊस के मामले में पारित निर्णय के आधार पर एक साथ पुनः निर्णयादेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया गया, जो कि हमारे समक्ष विचाराधीन है।

3- अपीलकर्ता व्यापारी की ओर से श्री दिनेश प्रकाश तथा श्री संग्राम सिंह, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा पेपर बुक प्रस्तुत करते हुए मौखिक तर्क प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा तीनों ही वाद में केवल कैरियर के बिन्दु पर तर्क प्रस्तुत किए गए। अन्य वस्तुओं यथा, चैन कवर, सीट कवर, हैंडल ग्रिप



कवर, घण्टी आदि वस्तुओं के सम्बन्ध में कोई बल नहीं दिया गया। उनके द्वारा विभिन्न साक्ष्यों एवं न्यायिक निर्णयों के आलोक में कैरियर को सायकिल का पार्ट बताते हुए अपीलकर्ता व्यापारियों द्वारा दाखिल अपीलें स्वीकार किये जाने तथा इस बिन्दु पर समस्त विवादित कर समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

4- विभाग की ओर से श्री पंकज कुमार, विद्वान डिप्टी कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि उपस्थित हुए। विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध एवं खण्डन करते हुए यह कहा गया कि कैरियर सायकिल का पार्ट नहीं है, अपितु एसेसरी है, जो सुविधा हेतु सायकिल में लगाया जाता है। फ्रेम, हैण्डल, व्हील, सीट, पैडल, चेन आदि सायकिल के पार्ट होते हैं। अन्त में उनके द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के धारा-59 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 01-10-2010 तथा सर्वश्री मलिक सायकिल इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 के मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णयादेशों का समर्थन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

5- उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन किया गया।

विचाराधीन तीनों अपीलों में एक मात्र विवाद सायकिल कैरियर की करदेयता के बिन्दु पर है। अपीलकर्ता व्यापारी द्वारा सायकिल कैरियर को सायकिल पार्ट्स मानते हुए एवं तदनुसार अधिनियम की अनुसूची-2 भाग-क की प्रविष्टि संख्या-19 से आच्छादित मानते हुए 4% की दर से करयोग्य माना गया है, जबकि विद्वान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश, लखनऊ के धारा-59 के अन्तर्गत दिए गए निर्णय एवं मा0 अधिकरण की पूर्ण पीठ द्वारा की गई उसकी आंशिक पुष्टि के आधार पर सायकिल कैरियर को सायकिल पार्ट्स से भिन्न मानते हुए अधिनियम की अनुसूची-5 के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भांति करयोग्य माना गया है। विद्वान प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर करनिर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन किया गया है। मा0 अधिकरण, कानपुर की युगल पीठ द्वारा अधिकरण स्तर पर प्रस्तुत तथ्यों, साक्ष्यों तथा संदर्भित न्यायिक निर्णयों के आलोक में सायकिल कैरियर की करदेयता के बिन्दु पर सर्वश्री मलिक सायकिल




इण्डस्ट्रीज प्रा०लि० की दोनों अपीलों को स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी को वाद पुनः करनिर्धारण हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया गया। मा० उच्च न्यायालय द्वारा मा० अधिकरण की युगल पीठ के उक्त निर्णयादेशों को अपास्त करते हुए सर्वश्री गर्ग सायकिल हाऊस के पुनरीक्षण याचिका संख्या 794/2011 में दिए गए निर्णय के अनुसार तीनों ही वादों का निस्तारण एक साथ किए जाने के निर्देश दिए गए।

अपीलकर्ता व्यापारी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस बिन्दु पर माननीय उच्च न्यायालय के सर्वश्री गर्ग सायकिल हाऊस के वाद में दिये गये निर्णय दिनांकित 07-02-2021 के विभिन्न प्रस्तारों, विशेषकर प्रस्तर संख्या-17 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश "on the strength of the evidence and material available on the record" की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए तथा पेपर बुक में उपलब्ध साक्ष्यों को संदर्भित करते हुए कैरियर सायकिल का पार्ट होने के सम्बन्ध में पहला आधार अन्य विभागों द्वारा कैरियर को सायकिल पार्ट मानने को बनाया गया है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा यह कहा गया कि राज्य सरकार के दो अथवा उससे अधिक विभागों का किसी एक बिन्दु पर दो मत नहीं हो हो सकता है। उनके द्वारा सर्वश्री राज प्रोडक्ट्स के मामले में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी स्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र, मण्डल स्तरीय समिति के निर्णय के अनुपालन में संयुक्त निदेशक उद्योग, कानपुर मण्डल, कानपुर द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र में सायकिल पार्ट्स यथा, कैरियर, स्टैण्ड, चेन कवर का उल्लेख किये जाने के आधार पर कैरियर को सायकिल पार्ट्स के अन्तर्गत समाहित होना बताया गया है। इसी प्रकार सर्वश्री ईशा सायकिल पार्ट्स इण्डस्ट्रीज, सर्वश्री मलिक सायकिल पार्ट्स इण्डस्ट्रीज प्रा०लि० के मामले में भी जिला उद्योग केन्द्र व संयुक्त निदेशक उद्योग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों में कैरियर, स्टैण्ड, घण्टी आदि का उल्लेख सायकिल पार्ट्स के अन्तर्गत किये जाने के आधार पर कैरियर को सायकिल पार्ट्स होना बताया गया तथा यह कहा गया कि यदि राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा कैरियर को सायकिल पार्ट्स माना गया है, तो वाणिज्य कर विभाग द्वारा इसे सायकिल पार्ट्स से भिन्न माना जाना उचित नहीं है। उनके द्वारा मा० उच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री वादीलाल केमिकल्स लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश, सर्वश्री एलायड इलेक्ट्रिक एण्ड इन्जीनियरिंग



बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को संदर्भित करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि राज्य सरकार के दो विभागों द्वारा एक ही वस्तु को दो भिन्न-भिन्न वस्तु नहीं माना जा सकता है। मा० उच्च न्यायालय, गौहाटी द्वारा सर्वश्री श्री सान्याजी इस्पात प्रा० लि० बनाम स्टेट ऑफ आसाम एवं अन्य के मामले में दिए गए निर्णय दिनांक 07-10-2005 के प्रस्तर-23, जो इस प्रकार है कि "The question, therefore, which falls for consideration is this: when the Government of a State announces an industrial policy and invites investors to make investments in order to receive the benefits and incentives promised under the industrial policy, can another Department of the Government, namely, Department of Finance, while preparing, in exercise of its powers under the relevant state, a Scheme, such as the Scheme of 1995, refuse to grant exemption from sales tax to an industrial unit, which is, otherwise, eligible to receive benefits of the industrial policy announced by the Government? While considering the question, so posed, it is important to bear in mind that a Government, perceived under the Constitution of India, runs as an organised, harmonious, orderly, coherent, systematic and homogenous body and it functions on the principles of collective responsibility. Two different departments of a Government cannot adopt policies, which are contrary to, and inconsistent with, each other, for, the citizens must know what the policy of the Government of the State is. The Government must, therefore, as warranted by the Constitution, behave with such responsibility as is conceived under the Constitution and eschew such a course, which would make its functions impossible to be carried out in accordance with the provisions of the Constitution, for, collision between two departments of a State will reveal arbitrary manner of functioning of the Government and such arbitrary functioning will jeopardize rule of law and make a mockery of the Constitution, which perceives a coherent functioning of various



organs or departments of the Government in the spirit of collective responsibility. Bearing in mind this subtle, but, definite pre-requisite for effective functioning of the Government, let me, now, turn to the Scheme of 1995.” को उद्धृत करते हुए यह कहा गया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभाग सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। सरकार के दो विभाग अलग-अलग परस्पर विरोधी नीति नहीं अपना सकते हैं

विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान राज्य प्रतिनिधि द्वारा इस सम्बन्ध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता द्वारा संदर्भित साक्ष्य व्यापार कर अधिनियम से सम्बन्धित है, जबकि विचाराधीन मामला उ०प्र० वेट अधिनियम से संबंधित है। उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 व उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत सायकिल व उसके पार्ट्स कम्पोनेंट्स एसेसरीज से सम्बन्धित प्रविष्टियों में भिन्नता रही है। उनके द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान अधिवक्ता द्वारा राज्य सरकार के उद्योग विभाग तथा मण्डल स्तरीय समिति, जिसमें तीन विभाग के अधिकारी शामिल होते हैं, द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्रों/पात्रता प्रमाण पत्रों में उल्लिखित वस्तुओं तथा वाणिज्य कर विभाग द्वारा इन वस्तुओं के सम्बन्ध में स्थिर मत में भिन्नता को आधार बनाकर मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में कैरियर को सायकिल पार्ट्स मानने का जो तर्क प्रस्तुत किया गया है, वह प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि उद्योग विभाग और यहाँ तक कि व्यापार कर/वाणिज्य कर विभाग द्वारा जिन वस्तुओं के लिए पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा नई इकाई के अन्तर्गत छूट हेतु पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, उनमें निर्माण की जाने वाली वस्तुओं के नाम का उल्लेख कर की दर निर्धारित किये जाने की दृष्टि से विचार करके नहीं किया जाता है, अपितु व्यापारी द्वारा जिन वस्तुओं को खरीद-बिक्री अथवा निर्माण-बिक्री हेतु पंजीयन जारी करने के सम्बन्ध में आवेदन किया जाता है, उसको उसी रूप में स्वीकार करते हुए पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। पंजीयन प्रमाण पत्र/पात्रता प्रमाण पत्र में वस्तुओं का नाम अंकित कर दिये जाने के आधार पर करदेयता का निर्धारण नहीं किया जाता है, अपितु कर का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अधिनियम में प्राविधानित कर की दरों के अनुसार किया जाता है।





इस बिन्दु पर समस्त संदर्भित साक्ष्यों, विभिन्न न्यायिक निर्णयों एवं विधिक व्यवस्थाओं का गहनता से हमारे द्वारा परिशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा कैरियर को सायकिल पार्ट्स मानने हेतु संदर्भित उद्योग विभाग के मण्डल स्तरीय समिति द्वारा जारी प्रमाण पत्रों में सायकिल पार्ट्स के अन्तर्गत कैरियर, स्टैण्ड, चेन कवर तथा अन्य वस्तुओं का उल्लेख होने के कारण इसे सायकिल पार्ट्स मानने का कोई तर्कसंगत एवं विधिसंगत आधार नहीं है, क्योंकि विभिन्न विभागों द्वारा निर्माण-बिक्री/खरीद-बिक्री हेतु निर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा नई इकाई के अन्तर्गत कर से छूट/रियायती दर से कर निर्धारण हेतु निर्गत पात्रता प्रमाण पत्र में वस्तुओं के वर्गीकरण पर विचार करके उल्लेख नहीं किया जाता है, बल्कि सम्बन्धित विभागों द्वारा, व्यापारी द्वारा आवेदित प्रार्थना पत्र में उल्लिखित वस्तुओं के लिए पंजीयन प्रमाण पत्र यथावत् जारी कर दिया जाता है, जबकि विभिन्न वस्तुओं पर कर का निर्धारण अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित कर की दर से किया जाता है। विभिन्न वस्तुओं पर कर की दर का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा विस्तृत विश्लेषण करके किया जाता है। कर की दरों को युक्तियुक्त व तर्कसंगत बनाने हेतु समय-समय पर विभिन्न वस्तुओं पर कर की दरों में परिवर्तन भी किया जाता है। किसी वस्तु पर कर की दर में अस्पष्टता होने पर राज्य सरकार द्वारा कमिश्नर वाणिज्य कर को अधिनियम की धारा-59 के अन्तर्गत कर की दर स्पष्ट करने हेतु अधिकार प्रदान किया गया है।

अपीलकर्ता व्यापारी की ओर से संदर्भित उपर्युक्त न्यायिक निर्णयों के तथ्य व्यापारी के प्रश्नगत वादों के तथ्यों से सर्वथा भिन्न हैं। तीनों ही न्यायिक निर्णय सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु लागू औद्योगिक नीति के अन्तर्गत स्थापित औद्योगिक इकाईयों को कर से छूट/रियायत की सुविधा प्रदान किए जाने के उपरांत कर से छूट/रियायत की सुविधा समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में है, जबकि विचाराधीन मामलों में सायकिल कैरियर सायकिल पार्ट न होने के कारण वैट अधिनियम की अनुसूची-2 भाग-क की प्रविष्टि संख्या-19 से आच्छादित न होने के फलस्वरूप अधिनियम की अनुसूची-5 के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भांति 12.5% की दर से करयोग्य होने के सम्बन्ध में है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा कोई भी नीति समस्त विभागों के परामर्श व आपसी सहमति के आधार पर



बनाई जाती है, जबकि विभिन्न वस्तुओं पर कर की दर का निर्धारण सम्बन्धित विभाग द्वारा देश के अन्य राज्यों में उस वस्तु की प्रचलित कर की दर व राज्य सरकार के वित्तीय संसाधन की आवश्यकताओं के दृष्टिगत स्वयं किया जाता है। उक्त तथ्यों, विधिक प्राविधानों एवं न्यायिक निर्णयों के विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता व्यापारी द्वारा जिन साक्ष्यों एवं न्यायिक निर्णयों का आश्रय लेते हुए कैरियर को सायकिल का पार्ट सिद्ध करने का प्रयास किया गया है, वह हमारे विचार से उचित, तर्कसंगत एवं विधिसंगत नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा कैरियर को सायकिल का पार्ट होने के सम्बन्ध में **Common Parlance Test** को भी एक आधार बनाया गया है। इस संदर्भ में उनके द्वारा श्री रूचि दुबे, लेक्चरर, दयानन्द गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज, कानपुर के माध्यम से कराये गये सर्वेक्षण, जो पेपर बुक के क्रम संख्या-68 से 135 पर उपलब्ध है, को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तदनुसार, उत्तर प्रदेश सायकिल उद्योग व्यापार परिषद, कानपुर द्वारा एक सर्वेक्षण प्रश्नावली तैयार की गयी है, जिसमें सायकिल केताओं से सायकिल कैरियर, स्टैण्ड, घण्टी, चेन कवर, मडगार्ड, सायकिल में लगी डलिया, बम्पर, हैण्डल ग्रिप कवर, सायकिल सीट की सुरक्षा के लिए सीट कवर, पेडल कवर आदि के सम्बन्ध में विभिन्न केताओं से हाँ/नहीं में मत लिया गया है। सायकिल में लगने वाली विभिन्न वस्तुओं के उपयोग को सुरक्षा के लिए उचित होने अथवा न होने के सम्बन्ध में अपनी सुविधानुसार प्रश्नावली तैयार कर विभिन्न केताओं का मत लिया गया है। इसी प्रकार विद्वान अधिवक्ता द्वारा पेपर बुक के पृष्ठ संख्या-43 से 61 तक पर विभिन्न कम्पनियों के सायकिल के चित्र, जिसमें विभिन्न प्रकार की एसेसरीज़ लगी हुई है, व उनके विक्रय दर की सूची तथा क्रम संख्या 15 व 16 पर संलग्न जिला विद्यालय निरीक्षक, झॉसी द्वारा निर्गत अल्पकालीन निविदा सूचना में उल्लिखित तथ्यों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा गया है कि सायकिल खरीदने वाले, बेचने वाले तथा निर्माण करने वाले तीनों ही कैरियर को सायकिल का पार्ट मानते हैं। अतः विभाग द्वारा कैरियर को सायकिल पार्ट न मानने व तदनुसार अनुसूची-2 भाग-क की प्रविष्टि-19 के अन्तर्गत समाहित मानते हुए 4% की दर से करयोग्य न मानने का कोई औचित्य नहीं है।

विद्वान राज्य प्रतिनिधि ने विद्वान अधिवक्ता के द्वारा संदर्भित साक्ष्यों को



असंगत एवं अतार्किक बताते हुए यह कहा कि विभिन्न कम्पनियों द्वारा सायकिल के जो विभिन्न मॉडल चित्रित किए गए हैं, जिनमें कैरियर, घण्टी, स्टैण्ड, सायकिल की डलिया, सायकिल चेन आदि लगी हुई हैं, उनके अवलोकन से किसी प्रकार यह प्रमाणित नहीं होता है कि कैरियर सायकिल का पार्ट है।

इस बिन्दु पर हमारे द्वारा समस्त साक्ष्यों, तथ्यों एवं विधिक प्राविधानों पर सम्यक् रूप से विचार किया गया। **Common Parlance Test** हेतु कराए गए सर्वेक्षण से सम्बन्धित साक्ष्यों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि सायकिल में एसेसरीज के रूप में प्रयोग होने वाली विभिन्न वस्तुओं का उपयोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित होने अथवा न होने के सम्बन्ध में अपनी सुविधानुसार 13 बिन्दुओं पर प्रश्नावली तैयार कर विभिन्न क्रेताओं से हाँ अथवा न में उनकी राय ली गई है। सर्वेक्षण से **Common Parlance** में कैरियर के सायकिल का पार्ट होने का तथ्य किसी प्रकार से भी प्रमाणित नहीं होता है।

अपीलकर्ता व्यापारी की ओर से कुछ सायकिल कम्पनियों के विक्रय दर की सूची प्रस्तुत की गई है, जिसमें सायकिल में लगने वाली विभिन्न एसेसरीज के साथ मॉडलवार सायकिल का विक्रय दर अंकित है, परन्तु सम्बन्धित सायकिल कम्पनियों द्वारा विक्रय दर सूची के अनुसार अपने डीलर्स एवं व्यापारियों को बिक्री किए जाने के साक्ष्य के रूप में कोई इन्वॉयस प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिससे इस बिन्दु पर अपीलकर्ता व्यापारी का तर्क सत्यापनीय नहीं है।


विद्वान अधिवक्ता द्वारा पेपर बुक के संलग्नक-7 के रूप में क्रमांक 15 पर संलग्न कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, झॉसी द्वारा जारी अल्पकालीन निविदा सूचना की छाया प्रति का अवलोकन किया गया। संदर्भित निविदा सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि "सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मद योजना के तहत जनपद झॉसी में पात्र छात्राओं को वितरित करने हेतु हीरो अथवा एटलस अथवा एवन अथवा हरकुलिस ब्राण्ड की लगभग 600 लेडीज सायकिल की आपूर्ति हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में सीलबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। सायकिल का न्यूनतम मानक इस प्रकार होगा— "20 इंची लेडीज साइकिल, सीट, फुल स्टैण्ड, क्वार्टर चेन कवर, ताला चेन वाला, कैरियर, घण्टी, फ्रन्ट बॉस्केट, ड्रेसगार्ड एवं रिफ्लेक्टर।"



उक्त निविदा सूचना के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यदि सीट कवर, स्टैण्ड, चैन कवर, कैरियर, घण्टी, फ्रंट बास्केट, (डलिया), ड्रेसगार्ड एवं रिफ्लेक्टर सायकिल पार्ट्स होते तो, इन्हें निविदा में अलग से उल्लेख किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सायकिल पार्ट्स के बिना सायकिल क्रियाशील (Functional) नहीं हो सकती है, जबकि निविदा में उल्लिखित उक्त वस्तुओं के बिना भी सायकिल क्रियाशील होती है, इसीलिए सायकिल के साथ इन वस्तुओं को लगाकर आपूर्ति किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस प्रकार कॉमन पार्लेन्स में भी कैरियर, सायकिल का भाग होना प्रमाणित नहीं होता है, क्योंकि अपीलकर्ता व्यापारी द्वारा विभिन्न कम्पनियों की सायकिल व उनके पार्ट्स की बिक्री के सम्बन्ध में साक्ष्य के रूप में कोई इन्वाइस प्रस्तुत नहीं किये गये, जिनसे कैरियर का सायकिल पार्ट होने का उनका तर्क प्रमाणित होता हो। इस प्रकार इस बिन्दु पर भी विद्वान अधिवक्ता का कथन उचित एवं तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा कैरियर को सायकिल पार्ट्स माने जाने हेतु Theory of creative Interpretation को भी आधार बनाया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा पेपर बुक के पृष्ठ संख्या-188 पर संलग्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ पंजाब एण्ड अदर्स बनाम सर्वश्री अमृतसर ब्रेवरीज लिमिटेड एण्ड अदर्स के मामलों में दिये गये निर्णय को संदर्भित किया गया है। इस निर्णय के पृष्ठ संख्या-190 के द्वितीय एवं अन्तिम प्रस्तर को उद्धृत करते हुए यह कहा गया है कि तकनीकी विकास के साथ-साथ वस्तुओं के वर्गीकरण में परिवर्तन होता रहता है। इसी बिन्दु पर पेपर बुक के पृष्ठ संख्या-193 से 198 तक पर संलग्न माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा कमिश्नर, व्यापार कर बनाम दुर्गा फार्म प्रोडक्ट लिमिटेड के मामले में दिए गए निर्णय के प्रस्तर-12 को भी संदर्भित किया गया है। पेपर बुक के पृष्ठ संख्या 199 से 204 तक पर संलग्न सर्वश्री झाइव इण्डिया डाट कम्पनी लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ एम0पी0 एण्ड अदर्स के मामले में मा0 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रस्तर-8 व कमिश्नर बिक्री कर बनाम मेलरोज बिस्किट कम्पनी के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के प्रस्तर-6, जो इस प्रकार है- "The settled principle of interpretation of taxing Statute



is that the items in taxing Statute must be construed in the sense in which they are sold by the dealer and purchased by the consumer. The operation of a notification has to be judged not by the object which the rule making authority had in mind but by the words which it has employed to effectuate the legislative intents. The words or expressions used in a notification must be construed in the sense in which they are understood by the trade and by the consumer and not by what is understood by the department.”, को संदर्भित करते हुए कहा गया है कि वस्तुओं का उसी रूप में वर्गीकरण किया जाना चाहिए, जिस रूप में वे व्यापारी द्वारा बेची जाती है अथवा ग्राहकों द्वारा खरीदी जाती है।

विद्वान राज्य प्रतिनिधि द्वारा विद्वान अधिवक्ता के **Theory of Creative Interpretation** से सहमति व्यक्त करते हुए यह कहा गया कि तकनीकी विकास के साथ-साथ वस्तुओं का वर्गीकरण किया जाता है, इसलिए विधायिका द्वारा समय-समय पर अनुसूची में संशोधन करते हुए विभिन्न वस्तुओं अथवा उनके समूह को अनुसूची में समाहित किया जाता है अथवा अनुसूची से असंगत वस्तुओं को बाहर किया जाता है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि कैरियर के सायकिल पार्ट्स होने के सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके आधार पर उनके प्रश्नगत मामले में **Theory of creative Interpretation** लागू होता हो, क्योंकि आज भी कैरियर सायकिल का पार्ट नहीं है और कैरियर का सायकिल के संचालन (**Functioning**) में कोई भूमिका नहीं है।

हमारे द्वारा **Theory of creative Interpretation** के बिन्दु पर विद्वान अधिवक्ता व विद्वान राज्य प्रतिनिधि के तर्कों पर गहनता से विचार किया गया। इस बिन्दु पर अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचने से पूर्व सायकिल व सायकिल पार्ट्स के सम्बन्ध में विभिन्न कर प्रणाली में प्रभावी कर की दर का अवलोकन किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत सायकिल पर कर की दर से सम्बन्धित प्रविष्टि निम्नवत् रही है :-

**Entry No.-150 :: Bicycles, Tri-cycles, Tandem Cycles, Rickshaws and Cycle combinations, Tyres, Tubes,**



Components, Parts & accessories thereof. Taxable @ 08% w.e.f. 01-02-2001

दिनांक 01-01-2008 से वैट कर प्रणाली लागू होने के समय अनुसूची-2 भाग-क की प्रविष्टि संख्या-19 निम्नवत् रही है :-

**Entry No.-19 :: Bicycles, Tri-cycles, Cycle-Rickshaws & Parts, Tyres & Tubes thereof.**

उक्त प्रविष्टि दिनांक 01-01-2008 से दिनांक 31-03-2011 तक प्रभावी रही। तदुपरांत दिनांक 01-04-2011 से उक्त प्रविष्टि को संशोधित करते हुए प्रविष्टि निम्नवत् प्रतिस्थापित की गई :-

**Bycles, Tri-cycles, Cycle-Rickshaws & Parts, Components, Assessories, Tyres & Tubes thereof.**

दिनांक 27-09-2014 से उक्त प्रविष्टि को अनुसूची-2 से हटाकर अनुसूची-1 में समाहित कर दिया गया। फलतः उक्त प्रविष्टि से आच्छादित समस्त वस्तुएं दिनांक 27-09-2014 से करमुक्त हो गई हैं।

सायकिल एवं उसके पार्ट्स/एसेसरीज़ से सम्बन्धित उपर्युक्त प्रविष्टियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा स्वयं समय-समय पर **Common Parlance Test** व **Creative Interpretation** के सिद्धान्त को संज्ञान में लेकर संशोधन किये जाते रहे हैं। मा० सर्वोच्च न्यायालय ने कमिश्नर बिक्री कर उत्तर प्रदेश बनाम सर्वश्री मोदी शुगर मिल्स लिमिटेड के मामले में कर सम्बन्धी कानूनों के परिप्रेक्ष्य में निम्नवत् मत व्यक्त किया है :-

*“In interpreting a taxing statute, equitable considerations are entirely out of place. Nor can taxing statutes be interpreted on any presumptions or assumptions. The Court must look squarely at the words of the statute and interpret them. It must interpret a taxing statute in the light of what is clearly expressed: it cannot imply anything which is not expressed; it cannot import provisions in the statute so as to supply any assumed deficiency.*

*A legal fiction must be limited to the purposes for which it has been created and cannot be extended beyond its legitimate field. The turnover of the previous year is fictionally made the turnover of the year of assessment; it is not the actual or the real turnover of the year of assessment. By the imposition of a different tariff in the*



course of the year, the incidence of tax liability may competently be altered by the Legislature, but for effectuating that alternation, the Legislature must devise machinery for enforcing it against the taxpayer and if the Legislature has failed to do so, the Court cannot resort to a fiction which is not prescribed by the Legislature and seek to effectuate that alternation by devising machinery not found in the statute."

इसी क्रम में मा० उच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री अग्रवाल ब्रदर्स बनाम कमिश्नर, बिक्री कर उत्तर प्रदेश, लखनऊ {(1974)-34 STC-53} के मामले में दिए गए निर्णय का निम्नांकित अंश अवलोकनीय है :-

"Admittedly, the diesel engines sold by the petitioner could not be used for driving motor vehicles unless they were changed and converted to such purpose. For that, conversion, kits were required. It was with the assistance of conversion kits that they were suitably converted or adapted for the purpose of driving motor vehicles. Apparently, in their unchanged or original condition they could not be used for that purpose. It is also not shown what is the degree of conversion which was necessary in order to make the diesel engines, sold by the petitioner, capable of use for driving motor vehicles. There is a complete absence of material in that regard. The judge Revision has expressed the view that diesel engines are ordinarily used in motors and motor lorries. That may be so, but the question here is whether the diesel engine sold by the petitioner was capable of use in a motor vehicle and was a component part of a motor vehicle. In the Commissioner of Sales Tax V/s Pritam Singh, S.T.R. No.-486 of 1965 decided by this bench on August 6, 1968, we hold that an article is a component of another when it forms a constituent part of the other and is essential for completing it. That presumes necessarily that the article as such must in its condition and functioning be capable of use in that other."

मा० सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त मत से यह स्पष्ट है कि कर अधिनियम के प्रावधानों के बाहर जाकर कैरियर को सायकिल का पार्ट सिद्ध करने का विद्वान अधिवक्ता का तर्क उचित एवं विधिसंगत नहीं है। इसी प्रकार मा० उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के संदर्भित अंश से यह स्पष्ट है कि कैरियर, सायकिल में लंगने के कारण वह सायकिल पार्ट नहीं है। हमारे समक्ष कैरियर के, सायकिल पार्ट्स होने के सम्बन्ध में, ऐसा कोई तथ्य/प्रामाणिक



साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर Theory of creative interpretation का सिद्धान्त व्यापारी के प्रश्नगत वाद में लागू होना प्रमाणित होता हो। इस प्रकार विद्वान अधिवक्ता का Creative Interpretation का सिद्धान्त भी कैरियर को सायकिल पार्ट्स सिद्ध करने में सहायक प्रतीत नहीं होता है।

6- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, विधिक प्राविधानों एवं मा० उच्च /सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के दृष्टिगत हमारा यह सुविचारित मत है कि कैरियर, सायकिल पार्ट्स के अन्तर्गत समाहित नहीं है। अतः अधिनियम की अनुसूची-2 भाग-क की प्रविष्टि संख्या-19 से आच्छादित नहीं है। फलतः 4% की दर से करयोग्य नहीं है। अतः सर्वश्री मलिक सायकिल पार्ट्स इण्डो प्रा०लि० के वर्ष 2008-2009 तथा 2009-2010 के मामले में विद्वान प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णयादेश क्रमशः दिनांक 20-12-2014 व दिनांक 02-12-2013 हस्तक्षेप योग्य नहीं है। सर्वश्री गर्ग सायकिल हाऊस के मामले में सायकिल कैरियर के बिन्दु पर कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश, लखनऊ का धारा-59 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 01-10-2010 हस्तक्षेप योग्य नहीं है। तदनुसार, अपीलकर्ता व्यापारी द्वारा दाखिल अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

--:आदेश:-

अपील संख्या 15/2011, 76/2020 व 27/2014 अस्वीकार की जाती है तथा कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्णय दिनांक 01-10-2010 व प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 20-12-2014 व 02-12-2013 की पुष्टि की जाती है।

मूल निर्णय अपील संख्या 15/2011 की पत्रावली में तथा सत्यापित प्रतियाँ अन्य पत्रावलियों पर रखी जाएं।

सत्य प्रतिलिपि प्रेषित  
वादी/प्रतिवादी/वाणिज्य कर अधिकारी  
आज्ञा से

अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकारी  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

ह०/18-02-2022

(अजीत कुमार शुक्ला)

सदस्य,

वाणिज्य कर अधिकरण,  
पीठ-तृतीय, लखनऊ।

दिनांक: फरवरी 18, 2022

ह०/18-02-2022

(विनय सिंह, एच.जे.एस.)

सदस्य,

वाणिज्य कर अधिकरण,  
पीठ-प्रथम, लखनऊ।

ह०/18-02-2022

(डा. बुद्धेश मणि)

सदस्य,

वाणिज्य कर अधिकरण,  
फैजाबाद पीठ, फैजाबाद।

(कैम्प लखनऊ)